भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2395**

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

**राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स**

2395. श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर दूर्घटनाप्रवण स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त ब्लैक स्पॉट्स को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या सरकार का ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करने और वास्तविक समय सड़क सुरक्षा के लिए एआई आधारित निगरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर 257 दूर्घटनाप्रवण स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर कुछ स्थानों को दुर्घटनाओं की कुछ संख्या के आधार पर दूर्घटनाप्रवण स्थलों के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें मृत्यु और गंभीर चोटें शामिल हैं। सरकार ने ऐसे ब्लैक स्पॉट पर तत्काल अल्पकालिक उपाय जैसे कि सड़क चिह्नांकन, साइनेज, क्रैश बैरियर, रोड स्टड, डिलिनेटर, अनाधिकृत मध्य मार्ग को बंद करना, यातायात को नियंत्रित करने के उपाय आदि करने के लिए कदम उठाए हैं। स्थायी सुधार उपायों के रूप में ऐसे ब्लैक स्पॉट पर सड़क ज्यामितीय सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि जैसे दीर्घकालिक उपाय भी किए जाते हैं।

ब्लैक स्पॉट्स का सुधार एक सतत प्रक्रिया है और तत्काल आधार पर अस्थायी उपाय किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहचाने गए कुल 257 ब्लैक स्पॉट्स में से 200 ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक सुधार कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना की स्थापना सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय संग्रह के रूप में की गई है। सरकार ने फरवरी, 2024 में ई-डीएआर प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना वाले स्थलों को समाप्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिससे वास्तविक समय में सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों को बढ़ाया जा सके।

*****